

## राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी वविकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के वभिन्न संशोधन प्रस्तावों का कथि अनुमोदन

### चर्चा में क्यों?

10 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सह कुलाधपित अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी वविकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधनियिम, 2004 की धारा 37(6) में नहिति प्रावधान के अंतरगत परनियिम 18 की धारा 1, 8, व 12 में प्रस्तावति संशोधन का अनुमोदन कर दयि है।

### प्रमुख बदि

- अनुमोदति संशोधन के अनुसार परधिनियिम 18 की धारा 1 में उपबंधति उपधारा (a),(b),(c) के उपरांत (d) जोड़ा गया है, जसिके अनुसार कसि भी महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त करने अथवा मान्यता जारी रखने के लयि नरिधारति आवेदन के पूर्व विश्वविद्यालय को देय बकाया राशिका भुगतान करना होगा।
- इसी प्रकार धारा 8 के उपधारा 1 में कंडकि (a) तथा (b) के पश्चात (c) जोड़ा गया है, जसिके अनुसार पछिले दो या दो से अधिकि वर्षो में जनि संस्थानों के द्वारा सुचारू संचालन के लयि कमयिों को दूर नही कयि गया है, उनहें दंडति कयि जाएगा तथा दंड का नरिधारण कार्य परषिद नरिधारति करेगा।
- इसके साथ ही परनियिम 18 की धारा 12 में उपबंधति उपधारा 1 से 7 के उपरांत 8 जोड़ा गया है।
- इसके अनुसार विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों में विश्वविद्यालय के परनियिम 19 के अंतरगत स्वीकृत कुल कैंडर के 60% फ़ैकल्टी/शकिषक अनविर्य रूप से उपलब्ध होने चाहयि। उक्त 60% की बाध्यता को कार्य परषिद द्वारा आवश्यकता के अनुरूप बढ़ायि जा सकता है।
- इस अवसर पर राज्यपाल उइके ने स्वामी वविकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) भलाई के राष्ट्रीय शकिषा नीति 2020 के अंतरगत शुरू आडटि कोर्स से संबंधति संशोधन अध्यादेश का अनुमोदन कयि।
- राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वगित दविस छत्तीसगढ़ स्वामी वविकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधनियिम, 2004 की धारा 39(2) में नहिति प्रावधानों के अंतरगत विश्वविद्यालय द्वारा नरिगत अध्यादेश क्रमांक-35 में प्रस्तावति संशोधन का अनुमोदन कर दयि है।
- इस संशोधन के अंतरगत विश्वविद्यालय के वभिन्न पाठ्यक्रमों इंजिनियरगि, पॉलिटिकनकि, आर्कटिकचर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एम.सी.ए., टाउन प्लानगि आदि में ऑडटि कोर्स को शामिल कयि गया है।
- उक्त संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय शकिषा नीति 2020 के वजिन के अनुसार विश्वविद्यालय क्रेडिट अंकों पर आधारति वभिन्न वषियों में ऑनलाईन सर्टकिकेट कोर्स की सुवधि प्रदान करेगा। यह कोर्स सी.एस.वी.टी.यू. के मानकों पर आधारति होंगे जो सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकार कयि जाएंगे।